राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2431/2023

सांवरमल सैनी –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा, राजस्थान–सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, मुख्यालय, झुंझुनू।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर मार्च 1992 को हुई थी। अपीलार्थी दिनांक 30.06.2023 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया। उनका कथन है कि राज्य कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ उसके पिछले वर्ष की 1 जुलाई से अगले साल की 30 जून तक संतोषपूर्ण सेवा पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है। अपीलार्थी ने 01.07.2022 से 30.06.2023 तक संतोषपूर्वक सेवा पूर्ण कर ली थी। अतः वह एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पाने का अधिकारी था जो अपीलार्थी को नहीं दी गई। अपीलार्थी की सेवानिवृति 30.06.2023 को हो गया था। अतः उसे 01.07.2023 को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। सेवानिवृत्ति लाभ तथा पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि का लाभ देने हेतु अपीलार्थी की सेवा गणना 30.06.2023 तक ही की गई थी। अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू दिनांक 05.09.2023 को भेजा। इस अभ्यावेदन में अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उसने दिनांक 30.06.2023 को एक वर्ष की संतोषपूर्ण सेवा पूरी कर ली थी परन्तु उसे इस अवधि का वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ

नहीं दिया गया तथा पेंशन ग्रेच्युटी इत्यादि का भुगतान 30.06.2023 तक की अवधि की गणना कर दिया गया। जबकि उसे एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देकर पेंशन ग्रेच्युटी इत्यादि की गणना की जानी चाहिये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन रहा है कि अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2023 तक एक वर्ष की संतोषपूर्ण सेवा पूर्ण कर ली थी। अतः इस अवधि के लिए अपीलार्थी एक वर्ष की वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं :—

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण सिविल अपील संख्या 2471/2023 The Director (Admn. and HR) KPTCL&Ors. Versus C.P. Mundinamani & Ors. में पारित निर्णय

(ii) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (निर्णय दिनांक 21.07.2023)

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त न्यायिक निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 30 जून को कार्मिक की सेवानिवृत्ति होने पर एक वेतन वृद्धि दिलाया जाना उचित माना है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को वेतन वृद्धि नियमानुसार देय है, क्योंकि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2023 को हुई थी एवं वेतन वृद्धि हर वर्ष 1 जुलाई को दी जाती है। ऐसे में वेतन वृद्धि की दिनांक से पूर्व ही अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो गया था।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। इस अपील में अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी दिनांक 30.06.2023 को सेवानिवृत्त हुआ है। अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2023 तक की एक वर्ष की संतोषपूर्ण सेवा पूरी की है। ऐसे में अपीलार्थी दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2023 तक की एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने अधिकारी है।

5. प्रस्तुत प्रकरण में यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है कि अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2023 तक एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी

और इस सेवा के लिए अपीलार्थी को एक वर्ष की वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग का कथन रहा है कि वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को ही दी जाती है, जबकि अपीलार्थी एक दिन पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुका था।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण सिविल अपील संख्या 2471 / 2023 The Director (Admn. and HR) KPTCL&Ors. Versus C.P. Mundinamani & Ors. में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :

> "In view of the above and for the reasons stated above, the Division Bench of the High Court has rightly directed the appellants to grant one annual increment which the original writ petitioners earned on the last day of their service for rendering their services preceding one year from the date of retirement with good behaviour and efficiently. We are in complete agreement with the view taken by the Division Bench of the High Court. Under the circumstances, the present appeal deserves to be dismissed and is accordingly dismissed. However, in the facts and circumstances of the case, there shall be no order as to costs."

7. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21 / 2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (निर्णय दिनांक 21.07.2023) में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया हैः–

> "41. Hence, looking to the binding effect of above judgment of Hon'ble Apex Court in the case of C.P. Mundinamari(supra) and All India Judges Association (supra), it is held that the petitioners would be entitled to get the benefits of increment falling due on 1 July on account of their conduct for the requisite length of time i.e. one year. The petitioners would be entitled to get notional payment on 1 July, notwithstanding their superannuation on 30th June.
>
> 42. The respondents are directed to consider the case of the petitioners afresh in the light of the observations made hereinabove and thereafter grant notional increment to the petitioners. The petitioners' pension would consequently be refixed The appropriate orders be issued and the arrears of pension be paid to the petitioners within a period of three months from the date of receipt of certified copy of this order."

8. चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 30 जून को एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कर्मचारी को एक वर्ष की वेतन वृद्धि दिलाया जाना उचित माना है। ऐसे मे उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को एक वर्ष का नोशनल वेतन वृद्धि दिये जाने के संबंध में विचार करें। यदि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2023 तक एक वर्ष की सेवा संतोषपूर्ण होना मानता है तो अपीलार्थी को एक वर्ष की नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाये एवं तदनुसार अपीलार्थी की पेंशन एवं ग्रेचुटी संशोधित की जाये। साथ ही अपीलार्थी को अन्य पारिणामिक लाभ भी प्रदान किया जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)